



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11082021-228908
CG-DL-E-11082021-228908

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2994]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 11, 2021/श्रावण 20, 1943

No. 2994]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 11, 2021/SHRAVANA 20, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2021

का.आ. 3225(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नए राष्ट्रीय राजमार्ग 320बी को (झारखंड राज्य में गोला के पास रारा-320 के साथ अपने जंक्शन से शुरू होकर बरियातू, पांचा को जोड़ते हुए और ओरमांझी के पास रारा-20 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सुपुर्द करती है।

[फा. सं. एनएच-14013/17/2021-पी एण्ड एम]
राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th August, 2021

S.O. 3225(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts new NH No. 320B (The highway starting from its junction with NH-320 near Gola connecting Bariatu, Pancha and terminating at its junction with NH-20 near Ormanjhi in the State of Jharkhand.) to the National Highways Authority of India.

[F. No. NH-14013/17/2021-P&M]
RAJESH GUPTA, Director